राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

क्रमांक : एफ.12(3)( )राज / रास्ता / 2015 / 503 दिनांक : 8.4.2015

प्रार्थीगण :–

1. शत्रुन्जसिंह पुत्र नरपतसिंह राणावत
   जाति–राजपूत, निवासी–जयपुर,
   हाल–बेडा, तह. बाली जिला–पाली(राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
भूमिधारी तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश

दिनांक : 8/4/2015

आवेदक प्रार्थीगण शत्रुन्जसिंह पुत्र नरपतसिंह राणावत जाति–राजपूत, निवासी जयपुर ने निर्धारित प्ररूप 'अ' मे आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार के ख.न. 288, 290 रकबा 1.72 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे आवगमन के लिए राजकीय सिचाय चक भूमि मौजा कोठार के ख.न. 291 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी सायम. मे से नया रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे नियमो के नियम–69 के अन्तर्गत भूमिधारी तहसीलदार, बाली से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार, बाली ने उनके पत्रांक : राजस्व / 2015 / 518 दिनांक 25.03.2015 के मौका एवं अभिलेखीय स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदक के प्रार्थना–पत्र की ताईद करते हुए मौजा कोठार के वर्तमान ख.न. 288, 290 रकबा 1.72 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे प्रार्थी की धारित भूमि मे आवागमन की अत्यधिक दुविधा होने से ग्राम कोठार मे स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि ख.न. 291 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बा.सो. मे से 4.55 मीटर चौडा एवं 76 मीटर लम्बा कुल 345.80 वर्ग मीटर रास्ता दर्ज कराये जाने की अनुशंषा की गई है।

पेज लगातार---2

उपखण्ड अधिकारी
बाली

990

D drive/E drive/ D drive F12(3) doc..doc

Scanned by CamScanner

तहसीलदार बाली की अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम 70(1)(ii)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए डी.एल.सी. दर 15,180/– रूपये प्रति बिघा (09.48 रूपये प्रति व.मी.) की दर से रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल 4.55x76 = 345.80 वर्ग मीटर के लिए कुल रूपये 3,281/ की दुगुनी राशि कुल 6,562/– रूपये (अक्षरे छः हजार पांच सौ बासठ रूपये) बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा करवाये जाने पर मौजा कोठार के के ख.न. 291 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बा.सो. मे से 4.55 मीटर चौडा एवं 76 मीटर लम्बा रास्ता संलग्न नक्शे के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार बाली उक्त प्रतिकर राशि राज्य कोष मे जमा करवाकर राजस्व रेकार्ड मे गे.मु रास्ता सिवाय चक दर्ज करे एवं नक्शे मे भी रास्ता तरमीम करेंगे। उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता के रूप मे प्रयुक्त होगा। उपरोक्तानुसार तरमीम अमल दरामद कर पालना प्रस्तुत करेंगे।

(सुरेश कुमार खटीक)
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमांक : एफ.12(3)( )राज/रास्ता/2015/504-10 दिनांक : 8.4.2015

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली
2. भू.अ.नि. बेडा/पटवारी कोठार
3. सरपंच ग्राम पंचायत कोठार
4. आवेदक शत्रुन्जसिंह पुत्र नरपतसिंह राणावत जाति–राजपूत, निवासी जयपुर हाल–बेडा तह. बाली जिला–पाली (राज.)
5. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
6. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी,
बाली

Scanned by CamScanner